न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– शंभु साहु बगैरह ।
बनाम
द्वितीय पक्ष– उमेश साहु बगैरह।

वाद सं0 31/2021

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 24/11/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 10/2021 दिनांक 27/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) शंभु साहु उम्र 40 वर्ष पिता स्व0 दिनदयाल साहु उर्फ पलटु साहु (2) सरिता देवी उम्र 32 वर्ष पति शंभु साहु दोनो ग्राम भागीडेरा थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) उमेश साहु उम्र 35 वर्ष पिता नरायण साहु (2) रेखा देवी उम्र 32 वर्ष पति उमेश साहु दोनो सा0 भागीडेरा थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्षो के बीच उक्त वाद्गत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)) Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.08.24 12:59:35 +05:30 Location: 192.168.0.112	